

खण्ड -15

संख्या -20

1251
02/02/16

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग-2

कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

बुधवार, तिथि 21 अप्रैल, 1999 ई०



सत्यमेव जयते

(व्यवधान)

मो० नेमतुल्लाह : महोदय, भवन मंत्री सदन में मौजूद हैं और किस परिस्थिति में आपके सामान का फेंकवाया गया है इसका जवाब भवन मंत्री को देना चाहिए ।

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, मंत्री महोदय, से जवाब दिलवाइये । यह सरकार अल्पसंख्यकों की दुहाई देती है ।

(इस अवसर पर सी०पी०आई० (एम०एल०), चम्पारण विकास पार्टी के माननीय सदस्य सदन के बीच में आ गये ।)

(व्यवधान)

(न) राहत की व्यवस्था

मो० नेमतुल्लाह : महोदय, एक सूचना है । महोदय, नवाडीह, पीपरहिया में भीषण अग्निकांड से लगभग 150 घर जल गये हैं, नष्ट हो गये हैं ।

(व्यवधान)

आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण मंत्री से अनुरोध है कि वे राहत का कार्य करावें और जो जल कर नष्ट हो गये हैं उनका इंदिरा आवास के तहत प्राथमिकता के आधार पर घर बनवावें ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर बहुत से माननीय सदस्य सदन के बेल में आकर बोलने लगे)

उपाध्यक्ष : हाऊस ऑर्डर में नहीं है, इसलिए हम कोई कार्यवाही नहीं ले

सकते हैं । हमें मजबूर होकर स्थगित करना पड़ेगा । इसलिए आपलोग अपने अपने स्थान पर जायें तभी कोई बात उठा सकेंगे, जब हाऊस ऑर्डर में रहेगा तभी बात को उठा सकेंगे । सदन के पास अभी आधा घंटा का समय है, अभी की बातों को उठाने का मौका मिलेगा, आपलोग सहयोग दीजिये, मेरी बात पहले, मेरी बात पहले मत कीजिए । जिस क्रम में सचिवालय ने प्रस्तुत किया है, लॉट्री के माध्यम से, उसी क्रम में पहले आता है, रिकॉर्ड होता है लोग उसी क्रम में पढ़ते हैं, इसलिए आपलोग सहयोग दीजिए, सभी की बात आ जायेगी, आपके क्षेत्र की भलाई होगी और मंत्री जी भी आपका समाधान कर सकेंगे ।

(सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी जगह पर चले गये)

उपाध्यक्ष : जो बात अल्प-संख्यक वित्त निगम के कार्यालय के संबंध में उठायी गयी है, उस संबंध में, मैं नियमन देता हूँ, आपलोग बैठिये । जो सदन की भावना है अल्प-संख्यक वित्त निगम के कार्यालय के बारे, जो सूचना सदन में माननीय सदस्य, श्री मुनाजिर हसन ने उठाया है और जितना इस संबंध में सदन की दृष्टि आकृष्ट की गयी है । इस अल्प-संख्यक वित्त निगम का कार्यालय जो है या भवन निर्माण मंत्री उसमें आ गये हैं और निगम का सामान वहाँ से निकाल दिया गया है, यह मामला गंभीर है और इसमें मंत्रिपरिषद् के जो मुखिया हैं, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हैं...

श्री मो० नेमतुल्लाह : उपाध्यक्ष महोदय,

उपाध्यक्ष : आप पहले मेरी नियमन सुनिये, उसके बाद बोलियेंगा । यह

बहुत खेदजनक बात है कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करके अगर यह कांड हुआ है तो यह मंत्रिपरिषद् के ऊपर ही लाञ्छना जायेगा, उन्हीं का विभाग है, इसीलिए इसको गंभीरता से लेकर इसका समाधान आपको करना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा ।

श्री बसंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,

उपाध्यक्ष : मैं आपको बोलने का ईजाजत नहीं दूँगा ।

श्री विजयकृष्ण : बात अपनी कहना चाहते हैं मंत्री जी तो आप उन्हें समय नहीं दीजिएगा ? यह क्या तरीका है ?

श्री अवध बिहारी चौधरी : मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि जो मामला उठाया गया है सदन में माननीय सदस्य, श्री मुनाजिर हसन के द्वारा, महोदय जब यहां पर भवन विभाग के मंत्री बैठे हुए हैं तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मंत्री को स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाए ।

उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्री बसंत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बिना सदन जानकारी प्राप्त किए हुए, बिना पूरी समीक्षा किए, इस तरह की बात यहां पर लायी गयी और चूँकि यह एक अहम मुद्दा है, मैं यहां मौजूद हूँ तो इसका उत्तर देना चाहूँगा । जिस आवास की चर्चा हो रही है, वह हार्डिंग रोड में है और यह बात सही है कि इसमें अल्प-संख्यक वित्त निगम का कार्यालय कार्यरत या किसी जमाने में मंत्रिपरिषद् का जब विस्तार हुआ और मंत्रियों की संख्या बढ़ी, यह जिम्मेवारी सरकार के ऊपर थी कैसे उनके लायक मकान की व्यवस्था की जाय - उस आवास में और कोई माननीय राज्यमंत्री श्री मुफ्ती मोहम्मद कासिम हैं, बहुत

